फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

चेतराम बनाम कृष्ण व अन्य

किस्म मुकदमा:–212 आरटीए प्रकरण संख्या:– 157/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.2020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री सुरेन्द्र सुथार उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थी के नाम से चक 8 डी.डब्लयू.एम. के प.नं. 175/52 के कि.नं. 1,2,9 ता 12, 18 ता 23 में 3.036 है0 कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी ने अपने नाम की चक 8 डी.डब्लयू.एम. के प.नं. 175/52 के कि.नं. 1,2,9 ता 12, 18 ता 23 में 3.036 है0 कमाण्ड भूमि में से प.नं. 175/52 के कि.नं. 1,10,11 की 0.759 है0 व 18 ता 23 की 1.518 है0 कुल 2.277 है0 भूमि का प्रार्थी को जरिये इकरारनामा दिनांक 16.05.2018 को बेचान कर प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा प्रार्थी को सौंप दिया गया था तब से कब्जा काश्त लगातार प्रार्थी के पास चला आ रहा है। अप्रार्थी ने जैरप्रकरण भूमि का कब्जा प्रार्थी को इकरारनामा के समय ही दे दिया था। वर्तमान में जैरप्रकरण रकबा का बाजार मूल्य अधिक होने पर अप्रार्थी के मन में बदयान्ती आ गई है। वह उक्त रकबा अन्य किसी भूमाफिया प्रवृति के लोगों को बेचान करने पर उतारू है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थी के परिवार के पालन पोषण का आधार जैरवाद रकबा से बेदखल कर दिया जावेगा। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी को जैरवाद रकबा पर से बेदखल पर उतारू है। अतः प्रा.पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे वाद पत्र के निर्णय तक जैरवाद रकबा वाके चक 8 डी.डब्लयू.एम. के प.नं. 175/52 के कि.नं. 1,10,11/0.759 है0 तथा 18 ता 23/1.518 है0 कुल 2.277 है0 भूमि पर ना तो स्वयं दखलदांजी करे व ना ही किसी अन्य से करवायें तथा मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा संलग्न दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 वाके चक 8 डी.डब्लयू.एम. के प.नं. 175/52 के कि.नं. 1,2,9 ता 12, 18 ता 23 में 3.036 है0 कमाण्ड भूमि अप्रार्थी सं. 1 कृष्णलाल के नाम खातेदार दर्ज है। खातेदार कृषक के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों की कानूनी नजीरें भी आ चुकी है। प्रार्थी ने प्रा.पत्र में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन साबित नही होता है। इसलिये प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना उचित नही समझता हूं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रा.पत्र 212 आर.टी.ए. आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Manoj Kumar Meena Date: 2020.10.09 16:12:41 IST Reason: SelfAttested (मनोज कुमार मीणा) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़